



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 187-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017 (KARTIKA 1, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 24th October, 2017

**No. 41-HLA of 2017/96/21004.**— The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 41- HLA of 2017**

### THE HARYANA CONSOLIDATION OF PROJECT LAND (SPECIAL PROVISIONS) BILL, 2017

A

### Bill

*to make special provisions to consolidate left out pockets of land for setting up a project and for the matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017. Short title.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
  - (a) “agency” means an agency owned, controlled, managed or administered by the State Government and includes Boards and Corporations;
  - (b) “competent authority” means the authority designated as such under sub-section (1) of section 4;
  - (c) “left out pockets of private land” means the patches of land situated between the project land owned by a person and not by the State or its agency;
  - (d) “person” shall include any company or association or body of individuals whether incorporated or not;
  - (e) “project land” means the land carved out or identified for the project under section 5;

- (f) "State" means the State of Haryana;
- (g) "State Government" means the Government of the State of Haryana.
- 3.** Where the State Government or any agency owns or has purchased seventy percent or more of the total project land in a particular area falling in one or more revenue estates and the remaining is left out pockets of private land, the State Government may consolidate the total project land to ensure the viability of such project.
- 4.** (1) The State Government shall, by an order, designate the Sub-Divisional Officer (Civil) of the sub-division in which such consolidation of project land is required as competent authority. In case the project land is situated in the jurisdiction of two or more sub-divisions, the State Government may designate any of the Sub-Divisional Officer (Civil) of the concerned sub-division, as the competent authority.
- (2) The powers, functions and duties of the competent authority shall be such, as may be prescribed.
- 5.** The State Government shall, by notification, declare the total area of the project land alongwith the details of the land to be consolidated and the private land situated in the project land in such manner, as may be prescribed, clearly specifying the intention of the State Government to consolidate the project land.
- 6.** The competent authority shall issue notices in such manner, as may be prescribed to every person who owns whether in whole or in part, the left out pockets of private land to exercise the option under section 7 within a period of one month from the date of issue of the notice.
- 7.** Every person to whom a notice has been issued under section 6 shall exercise either of the following options in such manner, as may be prescribed for the purposes of consolidation, namely:-
- (i) seek compensation at the rate at which the adjoining land of the project was purchased by the State Government or agency or at the collector rate for such land plus twenty percent, whichever is higher; or
- (ii) seek an equal area of land of equal valuation in the same revenue estate and in case of non-availability of such land in the same revenue estate, in a neighbouring revenue estate:
- Provided that if a person fails to exercise the option as provided in clauses (i) or (ii) within the stipulated period, as provided in the notice, the competent authority shall be at liberty to decide and proceed further to consolidate the land in accordance with either of the above two options.
- 8.** (1) The competent authority after due consideration of the options received under section 7, shall prepare a draft consolidation scheme of the total project land and shall notify the draft consolidation scheme for information of the general public to enable all the interested persons to file objections, if any, before the competent authority within a period of fifteen days of such public notice in such manner, as may be prescribed. The draft consolidation scheme shall specify the manner in which the compensation shall be disbursed or the land shall be exchanged.
- (2) The competent authority shall decide the objections, if any, received under sub-section (1) above, within a further period of one month from the last date of receipt of such objections under due intimation of decision on such objections to the concerned person.
- 9.** The competent authority shall, by notification, publish the final consolidation scheme for project land in such manner, as may be prescribed.
- 10.** After notification of the final scheme under section 9, the competent authority shall take over possession of the left out pockets of private land and shall disburse the compensation or hand over possession of the land in lieu thereof to the person to which he is entitled under the final consolidation scheme in such manner, as may be prescribed.
- 11.** The competent authority shall also cause to prepare a new record of rights for giving effect to the final consolidation scheme.

- 12.** The State Government may, either *suo-motu* or an application made by a person, at any time, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed, scheme prepared or made by the competent authority, call for and examine the record of any case pending before or disposed of by the competent authority and may pass such order in reference thereto, as it thinks fit.
- Power of State Government to call for record.
- Provided that no order or scheme shall be varied or reversed without giving the interested persons notice to appear and opportunity to be heard except in cases where the State Government is satisfied that the proceedings have been vitiated by unlawful consideration.
- 13.** Every officer and official acting under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).
- Persons acting under the Act to be public servants.
- 14.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any public servant or the State Government in respect of any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.
- Protection of action taken in good faith.
- 15.** No civil court shall have any jurisdiction to entertain or decide any question relating to matters falling under this Act.
- Bar of jurisdiction of civil courts.
- 16.** Notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force in the State, the provisions of this Act shall prevail.
- Provisions of this Act to have overriding effect.
- 17.** (1) The State Government may, by notification and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- Power to make rules.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the powers, functions and duties of the competent authority under sub-section (2) of section 4;
  - (b) the manner of publication of notification and details of land under section 5;
  - (c) the manner of giving notice under section 6;
  - (d) the manner of exercising option under section 7;
  - (e) the manner of publication of draft scheme under sub-section (1) of section 8;
  - (f) the manner of notification under section 9;
  - (g) the procedure of taking possession under section 10;
  - (h) any other matter which is to be or may be prescribed.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Project are sometimes held up because a few landowners are not willing to sell their lands. In such cases it may be necessary to compulsory exchange some of the lands so purchased for the project or to suitably compensate the owners of the left out pieces of land.

Hence this Act.

CAPTAIN ABHIMANYU,  
Revenue Minister, Haryana.

Chandigarh:  
The 24th October, 2017.

\_\_\_\_\_  
R.K.NANDAL,  
Secretary.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clauses 2, 3, 5, 9 and 17 of the Bill authorize the Government to issue notification or to make rules of designate/ prescribe an authority in respect of matters specified therein and generally to carry out the purpose of this Act. All such rules so made or notification issued which are intended to cover matters mostly of procedural nature.

The above provision of the Bill Regarding Delegated Legislation are thus of normal type and are mainly intended to cover matters of procedure. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rule of the procedure and conduct of Business in the Haryana Legislation Assembly is enclosed.

2017 का विधेयक संख्या-41 एच.एल.ए.

**हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2017**  
**किसी परियोजना को स्थापित करने की वजह से रह गए**  
**भू-खण्डों को समेकित करने तथा उससे सम्बन्धित या**  
**उससे आनुषंगिक मामलों के लिए**  
**विशेष उपबंध करने हेतु**  
**विधेयक**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है ।
- परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "अभिकरण" से अभिप्राय है, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रित, प्रबन्धित अथवा प्रशासित कोई अभिकरण और इसमें बोर्ड तथा निगम भी शामिल हैं ;
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे रूप में पदाभिहित प्राधिकारी;
- (ग) "निजी भूमि के रह गए भू-खण्ड" से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति तथा न कि राज्य अथवा इसके अभिकरण के स्वामित्वाधीन परियोजना भूमि के बीच अवस्थित भू-खण्ड ;
- (घ) "व्यक्ति" में शामिल होगा, कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या नहीं ;
- (ङ) "परियोजना भूमि" से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन परियोजना के लिए उत्कीर्णित या परिलक्षित भूमि;
- (च) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
- (छ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ।
- परियोजना भूमि का समेकन । 3. जहां एक या अधिक राजस्व संपदाओं में आने वाले किसी विशेष क्षेत्र में कुल परियोजना भूमि का सत्तर प्रतिशत या से अधिक का स्वामित्व राज्य सरकार या किसी अभिकरण के पास है अथवा खरीदा गया है और शेष निजी भूमि के भू-खण्डों के रूप में रह जाता है, तो राज्य सरकार ऐसी परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कुल परियोजना भूमि का समेकन कर सकती है ।
- सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति । 4. (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उपमण्डल, जिसमें परियोजना भूमि का ऐसा समेकन अपेक्षित है, के उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी । यदि परियोजना भूमि दो या अधिक उपमण्डलों की अधिकारिता में अवस्थित है, तो राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी के रूप में, सम्बद्ध उपमण्डल के किसी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को पदाभिहित कर सकती है ।
- (2) सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।
- परियोजना भूमि की अधिसूचना । 5. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समेकित की जाने वाली भूमि तथा परियोजना भूमि में अवस्थित निजी भूमि के ब्यौरों सहित परियोजना भूमि का कुल क्षेत्र, परियोजना भूमि को समेकित करने के लिए राज्य सरकार के आशय को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे रीति, जो विहित की जाए, में घोषित करेगी ।
- निजी भू-स्वामियों को नोटिस । 6. सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति, जो चाहे पूर्णतयः या भागतः निजी भूमि के रह गए भू-खण्डों का स्वामित्व रखता है, को नोटिस जारी करने की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर धारा 7 के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में नोटिस जारी करेगा ।

7. प्रत्येक व्यक्ति, जिसको धारा 6 के अधीन नोटिस जारी किया गया है, समेकन के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का प्रयोग करेगा, अर्थात् :-
- (i) ऐसी दर पर प्रतिकर प्राप्त करना जिस पर परियोजना के साथ लगती भूमि राज्य सरकार या अभिकरण द्वारा खरीदी गई थी या ऐसी भूमि के लिए कलक्टर दर जमा बीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो; अथवा
- (ii) उसी राजस्व संपदा में और उसी राजस्व संपदा में ऐसी भूमि की उपलब्धता नहीं होने की दशा में, निकटवर्ती राजस्व संपदा में समान मूल्य की भूमि का समान क्षेत्र प्राप्त करना :
- परन्तु यदि कोई व्यक्ति नोटिस में यथा उपबंधित नियत अवधि के भीतर खण्ड (i) या (ii) में यथा उपबंधित विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त दो विकल्पों में से किसी एक के अनुसार भूमि का समेकन करने के लिए विनिश्चय करने और आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 7 के अधीन प्राप्त किए गए विकल्पों का सम्यक् विचारण करने के बाद, कुल परियोजना भूमि की समेकन स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा तथा ऐसे सार्वजनिक नोटिस के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सभी हितबद्ध व्यक्तियों को आक्षेप दायर करने हेतु समर्थ बनाने के लिए आम जनता की सूचना के लिए समेकन स्कीम का प्रारूप ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अधिसूचित करेगा। प्रारूप समेकन स्कीम ऐसी रीति, जिसमें प्रतिकर संवितरित किया जाएगा या भूमि का विनिमय किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करेगी।
- (2) सक्षम प्राधिकारी, उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हों, का ऐसे आक्षेपों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक मास की और अवधि के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसे आक्षेपों पर निर्णय की सम्यक् सूचना के अधीन विनिश्चय करेगा।
9. सक्षम प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, परियोजना भूमि के समेकन की अन्तिम स्कीम का प्रकाशन ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में करेगा।
10. धारा 9 के अधीन अन्तिम स्कीम की अधिसूचना के बाद, सक्षम प्राधिकारी निजी भूमि के रह गए भू-खण्डों का कब्जा लेगा तथा उसके बदले में उस व्यक्ति, जो अन्तिम समेकन स्कीम के अधीन हकदार है, को प्रतिकर संवितरित करेगा या भूमि का कब्जा ऐसी रीति में सौंपेगा, जो विहित की जाए।
11. सक्षम प्राधिकारी, समेकन की अन्तिम स्कीम को प्रभावी रूप देने के लिए अधिकारों का नया अभिलेख भी तैयार करवाएगा।
12. राज्य सरकार, किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश, तैयार की गई या बनाई गई स्कीम की वैधता या उपयुक्तता के बारे में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए या तो स्वप्ररेणा से या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित या द्वारा निपटाए गए किसी मामले का अभिलेख मंगवा सकती है या की जांच कर सकती है तथा उसके संदर्भ में ऐसा आदेश, जो वह ठीक समझे, पारित कर सकती है :
- परन्तु कोई भी आदेश या स्कीम सिवाय उन मामलों में जहां राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि कार्यवाहियां विधिविरुद्ध विचारण द्वारा अमान्य की गई हैं, हितबद्ध व्यक्तियों को पेश होने का नोटिस तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना परिवर्तित या प्रतिवर्तित नहीं की जाएगी।
13. इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।
14. किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है अथवा किए जाने के लिए आशयित है, के कारण हुई अथवा होने वाली सम्भाव्य किसी क्षति के सम्बन्ध में किसी लोक सेवक या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।
15. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में किसी प्रश्न को ग्रहण या निर्णीत करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी।

प्रतिकर अथवा समान मूल्य की भूमि।

समेकन स्कीम का प्रारूप तैयार करना तथा आक्षेप आमन्त्रित करना।

अन्तिम स्कीम की अधिसूचना।

कब्जा लेने का अधिकार।

अधिकार अभिलेख तैयार करना।

अभिलेख मंगवाने हेतु राज्य सरकार की शक्तियां।

अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होना।

**16.** राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

**17.** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं :-

- (क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य ;
- (ख) धारा 5 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की रीति तथा भूमि के ब्यौरे ;
- (ग) धारा 6 के अधीन नोटिस देने की रीति ;
- (घ) धारा 7 के अधीन विकल्प प्रयोग करने की रीति ;
- (ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की रीति ;
- (च) धारा 9 के अधीन अधिसूचना की रीति ;
- (छ) धारा 10 के अधीन कब्जा लेने की रीति ;
- (ज) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।



### उद्देश्यों और कारणों का विवरण

कुछ परियोजनाएं कभी-कभी संकट में पड़ जाती हैं क्योंकि कुछ भू-स्वामी भूमि को बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में यह आवश्यक हो जाता है कि परियोजना के लिए खरीदी भूमि से आवश्यक रूप से विनिमय किया जाए या ऐसे भू-स्वामियों को सही रूप से प्रतिपूरित किया जा सके।

अतः उपर्युक्त अधिनियम।

कैप्टन अभिमन्यु,  
राजस्व मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 24 अक्टूबर, 2017.

आर.के. नांदल,  
सचिव।

### प्रतिनिधि मण्डल के बारे में ज्ञापन

विधेयक की धारा 2, 3, 5, 9, और 17 द्वारा सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अधिसूचना जारी करने या नियमों को बनाने या निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में किसी प्राधिकरण को निर्धारित करने/निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार के बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना ज्यादातर प्रक्रियात्मक प्रकृति के मामलों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से होते हैं।

उपरोक्त प्रावधान अनुसार विधान सम्बन्धी विधेयक सामान्य प्रकार के होते हैं और इनका उद्देश्य प्रक्रिया संबंधित मामलों को सम्मिलित करना होता है। अतः हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया नियम एवं व्यापार प्रक्रिया के नियम 126 के तहत अपेक्षित प्रतिनिधि कानून के बारे में ज्ञापन संलग्न हैं।